भीषण गर्मी में कामकाजी महिलाओं को वितरित किए मटके

ग्वालियर। महानगर में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए 'भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट' द्वारा एक मानवीय पहल के तहत आज लगभग 50 कामकाजी महिलाओं को मिट्टी के मटके वितरित किए गए, ताकि उन्हें शुद्ध और ठंडा पेयजल उपलब्ध हो सके। मटके पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम के दौरान संस्था में शामिल हुए नवीन सदस्यों का वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्वागत भी किया। संस्था समय-समय पर सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचकर जन-जागरूकता के कार्य भी करती रहती है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता पाठक, जिला संरक्षक सुनीता शर्मा, जिला अध्यक्ष उर्मिला नाहर, जिला कोषाध्यक्ष सुकृति गुर्जर, नगर अध्यक्ष प्रवेश गुर्जर, जिला सचिव स्वराज गुप्ता सहित संस्था की कार्यकारिणी के अनेक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।

विधायक क्रिकेट प्रीमियर लीग में खूब लगे चौके-छक्के

ग्वालियर 27 मई. जन उत्थान न्यास के तत्वावधान में हो रहे विधायक प्रीमियर लीग रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के आज 6 मैच एम.एल.बी कॉलेज के खेल मैदान में शाम 3:30 बजे से आयोजित किये गये। पहला मैच शाम 3:30 बजे वार्ड क्रमांक 18 की टीम 18/डी एवं टीम 18/जी के मध्य खेला गया। इसी क्रमशः में दूसरा मैच शाम 4:30 बजे वार्ड क्रमांक 56 की टीम 56/जे एवं टीम 56/एल के मध्य, तीसरा मैच शाम 5:30 बजे वार्ड क्रमांक 23 एवं वार्ड 24 की टीम 23/बी एवं टीम 24/ए के मध्य, चौथा मैच शाम 6:30 बजे वार्ड क्रमांक 29 की टीम 29/ई एवं टीम 29/जी के मध्य, पांचवा मैच शाम 7:30 से वार्ड क्रमांक 60 की टीम 60/ए एवं टीम 60/जी के मध्य एवं अंतिम छठवां मैच सायं 8:30 बजे वार्ड क्रमांक 45 की टीम 45/डी एवं टीम 45/जी के मध्य खेला गया। टूर्नामेंट के अंत में न्यासी आदित्य सिकरवार द्वारा दर्शकों के लिये लक्की ड्रा खोला जाता है।

मनुस्मृति को घर-घर पहुंचाने का अभियान शुरू

ग्वालियर। भाऊ के बाजार स्थित सार्वजनिक दुख भंजनी माता मंदिर में बुधवार को मनुस्मृति का विधिवत पूजन किया गया। इस अवसर पर आरक्षण विरोध के मुद्दों को लेकर चर्चित अखिलेश पांडे ने समाज में जनजागरण अभियान शुरू करने की घोषणा की। वरिष्ठ समाजसेवी संध्या प्रमोद बापट ने पूजन के बाद अखिलेश पांडे को मनुस्मृति की प्रति भेंट कर संकल्प दिलाया कि सनातनियों के घर-घर जाकर इसके महत्व को बताया जाएगा। अखिलेश पांडे ने कहा कि कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा मनुस्मृति को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि इसका उद्देश्य समाज को व्यवस्थित करने का विधान देना है। उन्होंने कहा कि ग्रंथ कर्म और आचरण को महत्व देता है तथा व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र और व्यवहार से होती है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में ग्वालियर महानगर में 11 हजार प्रतियां घर-घर पहुंचाई जाएंगी। इस दौरान धर्मेंद्र भारद्वाज, हरीश शर्मा, सुनील पटेरिया, धारा शर्मा, शैलेंद्र सिंह राजावत, देवेंद्र गुप्ता, राहुल सिंह राजावत, पूजा जादौन, लोकेश पचौरी, देवेंद्र भाले, सुरेश गाजरानी, गोल्डन वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक एड. गोल्डी सिंह, स्वाभिमान सेना से एड. अनुपमा सिंह, राज दंडोतिया सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं प्रबुद्धजन मौजूद रहे।

वर्दी हासिल करने के लिए युवाओं को कड़ी मेहनत की आवश्यकता

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 27 मई। शहर की प्रतिष्ठित सनराइज फिजिकल अकादमी द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस में चयनित छात्र-छात्राओं के सम्मान में बुधवार को मेला ग्राउंड में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन अकादमी के कोच प्रमोद मावई एवं अजीत मावई द्वारा आयोजित किया गया। जिम ट्रेनर अमित कोटिया एवं मैथ्स टीचर गौरभ मावई भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अकादमी के कोच प्रमोद मावई ने कहा कि यह अकादमी पिछले कई वर्षों से युवाओं को पुलिस, सेना एवं अन्य प्रतियोगी सेवाओं के लिए शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासन और उचित मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों में रघुराज कुशवाह, दीपक धाकड़, राहुल गुर्जर, सिमरन, चांदनी तोमर, अंकिता, रबीसा गौतम, शिवानी कुशवाह, मोहिनी शिरोमणि, साक्षी श्रीवास्तव, शैलेन्द्र परिहार, पंकज कौशिक, विकास उच्चारिया, इमरान खान एवं सतेंद्र कटारे को सम्मानित किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस में पूर्व में चयनित होकर ट्रेनिंग से लौटे रसाल गोयल, प्रदीप बरेलिया, पंकज अटल, लोकेंद्र धाकड़ एवं गिर्राज सहित अन्य युवाओं को भी सम्मानित किया गया।

जैन धर्म संस्कार के साथ ज्ञान की शिक्षा ले रहे 300 बच्चे

ग्वालियर 27 मई. भारतीय जैन मिलन क्षेत्रीय क्रमांक 02 के अंतर्गत जैन मिलन युगल नेमिनाथ ग्रेटर के तत्वावधान में आठ दिवसीय 26 मई से 02 जून तक श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर के दूसरे दिन आज बुधवार को दाना ओली स्थित श्री दिगंबर पार्श्वनाथ नये जैन मंदिर में सुबह ही बच्चे जल्दी पहुंचकर योग के साथ भगवान जिनेंद्र की पूजन विधि की शिक्षा ली। इस शिविर में बच्चे जैन धर्म मूल संस्कारों की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। समाज के विद्वानगणों बच्चों को जैन धर्म का अध्ययन करना सिखा रहे हैं। शिविर के विद्वान पंडित सम्यक जैन शास्त्री ने बालक बालिकाओं को धर्म की शिक्षा देते हुए कहा कि माता पिता का फर्ज बनता है कि बच्चों को सुबह की बेल मे जल्द उठकर सबसे पहले देव दर्शन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के तहत उच्च शिक्षा का खर्च उठाएगी सरकार

ग्वालियर 27 मई। पंजीकृत श्रमिकों को अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए अब आर्थिक तंगी आड़े नहीं आएगी। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों की स्नातक, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई, इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार वहन करती है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले के पंजीकृत असंगठित श्रमिकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाएं।

कार्यालय,म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग मुरैना

क्रमांक-1677...मुरैना
दिनांक-26/05/2026

सार्वजनिक सूचना

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निर्मित भवन क्रं. एलआईजी द्वितीय-532 मयूरवन कॉलोनी मुरैना जो कि श्री बी.एस. चौहान पुत्र श्री हरनारायण सिंह चौहान को आवंटित किया गया था, इनके द्वारा उक्त भवन क्रं. एलआईजी द्वितीय-532 श्रीमती आरती पत्नी श्री गिरजाशंकर के नाम नामांतरण/ हस्तांतरण बावत आवेदन किया है, जो कि इस कार्यालय में विचाराधीन है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस बावत प्रतिवेदन इस कार्यालय में इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें, निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं मण्डल के नियमानुसार भवन/भूखण्ड हस्तांतरण/नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

सम्पदा प्रबंधक
म.प्र.गृ.नि.एवं अधो. विकास मण्डल संभाग-मुरैना म.प्र.

कार्यालय,म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग मुरैना

क्रमांक-1676...मुरैना
दिनांक-26/05/2026

सार्वजनिक सूचना

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निर्मित भूखण्ड क्रं. एलआईजी द्वितीय-562 जौराखुर्द मुरैना जो कि श्री बनवारीलाल शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा के नाम इंद्राज है। इनके द्वारा उक्त भवन को श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री सुन्दरपाल शर्मा के नाम नामांतरण/ हस्तांतरण हेतु दस्तावेज जमा कर आवेदन किया है, जो कि इस कार्यालय में विचाराधीन है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस बावत प्रतिवेदन इस कार्यालय में इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें, निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं मण्डल के नियमानुसार भवन/भूखण्ड हस्तांतरण/नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

सम्पदा प्रबंधक
म.प्र.गृ.नि.एवं अधो. विकास मण्डल संभाग-मुरैना म.प्र.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मुरैना म.प्र.

प्र.क्र. 0043/2022-23/अपील मुरैना दिनाक 21.05 2026
बादामी पुत्री किशोरी फौत के वारिश
1. हरीलाल केम पुत्र दुर्जनलाल 2. अनिल 3. अजय पुत्रगण हरीलाल 5.रुबी 6. पूनम पुत्रियां हरीलाल सभी जाति जाटव निवासी सोलंकी पेट्रोल वाली गली जौरी तहसील व जिला मुरैना .....अपी.

बनाम

किशोरीलाल पौत वारिसानः-
1. वैकुण्ठी वेवा किशोरीलाल 2. लालसिंह 3. बीर सिंह पुत्रगण किशोरीलाल सोवरन फौत वारिसानः- 4. चमेली वेवा सोवरन 5. पंजाब सिंह 6. ध्रुव सिंह 7. भरत सिंह 8. भूरा 9. जीतेन्द्र पुत्रगण सोवरन जाति जाटव निवासी मुंगावली तहसील व जिला मुरैना 10. रामकली पुत्री सोवरन पत्नी देवेन्द्र निवासी पीपरीपुरा जिला मुरेना 11. मिथलेश पुत्री सोबरन पत्नी अर्जुन निवासी अरहेला तहतील जौरा जिला मुरैना ...रेस्पो.

// सूचना पत्र //

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अपीलान्ट 1. हरीलाल केम पुत्र दुर्जनलाल 2. अनिल 3 अजय पुत्रगण हरीलाल 5. रुबी 6. पूनम पुत्रियां हरीलाल सभी जाति जाटव निवासी सोलंकी पेट्रोल वाली गली जौरी तहसील व जिल मुरैना म.प्र. के अभिभाषक श्री मुनेन्द्र दिनकर द्वारा म.प्र. भू-राजस्व सहिंता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत आवेदन पत्र ग्राम मुंगावली तहसील मुरैना जिला मुरैना की नामांतरण पंजी क्रमांक 34/04.01.1990 में पारित आदेश दिनांक 20.01.1990 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। जिसमे विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1145, 1146, 1265, 2146, 2274, 2275, 2276, 2280, 2281 स्थित है। अतः वादित भूमि से संबंध रखने वाले रेस्पो. को सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 24.06. 2026 को सुनवाई हेतु नियत की गई है नियत दिनाक पर न्यायालय में आप स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के मध्यन के पक्ष समर्थन कर सकते हैं। आपकी अनुपस्थित में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी। आज दिनांक 21.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

अनुभागीय अधिकारी, अनुभाग मुरैना म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं हरदयाल अहिरवार सर्व साधारण को सूचित करता हूँ कि
(1) यह कि मेरी पुत्री का सही नाम जूली अहिरवार JULEE AHIRWAR पुत्री हरदयाल अहिरवार HARDAYAL AHIRWAR है।
(2) यह कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र व उसकी कक्षा 5 की अंक सूची पर भी उसका यही नाम लिखा है.
(3) यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटि के कारण उसका नाम माही अहिरवार MAHEE AHIRWAR पुत्री हरदयाल अहिरवार HARDAYAL AHIRWAR हो गया है जो कि उसका गलत नाम है।
(4) यह कि मुझे अपनी पुत्री के आधार कार्ड पर पर उसका सही नाम जूली अहिरवार पुत्री हरदयाल अहिरवार लिखवाना है जिस हेतु म.प्र. के राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता है.
अतः प्रकाशन के उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में उसका सही नाम जूली अहिरवार JULEE AHIRWAR पुत्री हरदयाल अहिरवार HAR DAYAL AHIRWAR लिखा व पढ़ा जाए व तदानुसार ही दर्ज किया जाए।

प्रेषक
हरदयाल अहिरवार
ग्राम - फतेह का खिरक, पोस्ट - पैतपुरा
फतेह का खिरक, टीकमगढ़ मध्यप्रदेश
पिन-472118.
मो. 8817077865

सम्बन्ध विच्छेद - आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार लालपति प्रजापति 65 वर्ष स्व. श्री बुद्धिराम प्रजापति निवासी- 303, ओमकार नाथ, अपार्टमेंट, न्यू सारिका नगर, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, डीबी सिटी के पास ग्वालियर म.प्र. में उपरोक्त दर्शित पते पर निवास करता हूँ। मैने अपने पुत्र रामेन्द्र कुमार प्रजापति का जन्म से पालन पोषण कर उच्च शिक्षा (बी.ई. मैकेनिकल) पूर्ण करवायी गयी थी। जिसका जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक सम्पूर्ण खर्चा मैने वहन किया गया था। वर्तमान में मेरे पुत्र रामेन्द्र कुमार प्रजापति किसी लिमिटेड कम्पनी में कार्यरत है। मुझ शपथकर्ता साथ का पुत्र रामेन्द्र कुमार प्रजापति आयु 32 वर्ष है जिसका विवाह श्रीमती लक्ष्मी प्रजापति (मेवाड) के साथ हुआ है। आज दिनांक 27/05/2026 को अपने पुत्र रामेन्द्र कुमार प्रजापति एवं उसकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रजापति (मेवाडा) को अपनी समस्त चल एवं अंचल सम्पति से बेदखल करता हूँ तथा आज दिनाक 27/05/2026 से मेरी समस्त चल एवं अचल सम्पति में मेरे पुत्र रामेन्द्र कुमार प्रजापति एवं उसकी पत्नी का कोई हक नहीं रहेगा तथा आज दिनांक से मैं अपने पुत्र एवं अपनी पुत्रवधू से सम्बन्ध विच्छेद (बेदखल) कर रहा हूँ। मुझ शपथकर्ता के पुत्र एंव पुत्रवधू द्वारा आज दिनांक 27/05/2026 से किसी भी प्रकार का कोई गलत कृत्य लड़ाई, झगड़ा, आदि करता है या उन दोनों के साथ कोई घटना घटित होती है तो इसके लिये मेरा पुत्र रामेन्द्र कुमार प्रजापति स्वंय एंव श्रीमती लूक्ष्मी प्रजापति (मेवाडा), जिम्मेदार रहेगे तथा आज दिनांक से मेरे पुत्र एंव पुत्रवधू के विरुद्ध किसी पुत्रवधू के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण दर्ज रहेगें। इसमे मेरी व मेरे परिवार के अन्य सदस्यों की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके लिए स्वयं एवं मेरी पुत्रवधू श्रीमती लक्ष्मी प्रजापति (मेवाडा) स्वय जिम्मेदार होगें। इस उपरोक्त कथनो की पुष्टि में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

प्रेषक- एन.एस. गुर्जर (नोटरी)
बी- 3 झवर स्टेट, थाटीपुर, ग्वालियर, (म.प्र.)
Mob - 9300257664, 9425335757

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती वन्दना राय पत्नी श्री ब्रजेश राय ने उक्त अचल सम्पति प्लॉट क्र. 08 ब्लॉक एफ स्थित द्वारिकाधाम फेस-2 ग्राम मुरार जिला ग्वालियर में है। जो कि सर्वे क्र. 169/2 का भाग 1500 वर्गफुट है। जिसका म्यु. वार्ड क्र. 65 है, जो मेरी पक्षकारा ने विक्रय अनुबंध पत्र के तहत क्रय करना स्वीकार किया। मेरी पक्षकारा के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है:- पूर्व में-रोड, पश्चिम में-प्लॉट क्र. 07. उत्तर में-रोड, दक्षिण में - प्लॉट क्र. 09 जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है। मेरी पक्षकारा विक्रेता श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल सिंह पति एंव पिता की काश्त की कृषि भूमि खसरे में संयुक्त भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज होकर चली आ रही। मेरी पक्षकारा विक्रेता श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल सिंह पति एंव सूरज, उमा के पिता श्री गोपाल सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद वारिसान की हैसियत से राजस्व अभिलेख मे भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज होकर चली आ रही। मेरी पक्षकारा के विक्रेता गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल सिंह के द्वारा वारिसान की हैसियत से मेरी पक्षकारा श्रीमती वन्दना राय पत्नी श्री ब्रजेश राय को उक्त अचल सम्पति प्लॉट को विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, सस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को कोई या विक्रेता के सहभूस्वामी सूरज, उमा पुत्र / पुत्री स्व. श्री गोपाल सिंह एंव चरनसिंह, शंकरसिंह पुत्रगण स्व. श्री बाबूसिंह को कोई ऊज्र व आपति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 07 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई ऊज्र व आपति मान्य व स्वीकार नही होगी और मेरी पक्षकारा श्रीमती वन्दना राय पत्नी श्री ब्रजेश राय अचल सम्पति प्लॉट क्र. 08 ब्लॉक एफ कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफूट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा आई.सी.आई.सी.आई. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड सिटी सेन्टर ग्वालियर से आवंटित करा रही है। जो सुचित हो।

दिनांक-27-5-2026
स्थान-ग्वालियर

भवदीय
संजय बाकलीवाल, एडवोकेट
चिक संतर मुरार, ग्वालियर
मो. 9300981954

आम सूचना

आप जन साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार AU SMALL FINANCE BANK, CITY CENTRE BRANCH, GWALIOR, M.P. के द्वारा वर्णित अचल संपत्ति स्थित मोजा दतिया गिर्द, पटवारी हल्का क्रमांक: 19, राजस्व निरीक्षक मण्डल दतिया गिर्द, नगर पालिका दतिया वार्ड क्रमांक: 01, झीर का बाध वाला क्षेत्र, आरजी सर्वे क्रमांक: 472/3/1/3, 472/3/2/3, 472/5/1/3, 472/5/2/3, तहसील एवं जिला दतिया म.प्र., जिसका कुल क्षेत्रफल 2055 वर्गफुट, यानि 190.98 वर्गमीटर है। जिसकी चतुर सीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में- विक्रेता का मकान लगा है, पश्चिम में- लक्ष्मण की भूमि, उत्तर में- दतिया-इन्दरगढ़ बाईपास रोड लगा है, दक्षिण में- कमलेश की भूमि। श्रीमती किरन सेन पत्नी श्री कमलेश सेन निवासी: भांडेर मार्ग, देहात थाने के पास, दतिया, तहसील एवं जिला दतिया, म.प्र. के स्वत्व, स्वामित्व कि संपति है जो कि श्रीमती किरन सेन को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र क्र. MP09592022A1599804, दिनांक: 07-06-2022 से श्री बृजेश कुशवाहा एवं श्री रोहित उर्फ श्यामलाल कुशवाहा पुत्रगण श्री प्रेमनरायण कुशवाहा निवासीगण: निधान का कुआं, दतिया, तहसील एवं जिला दतिया, म.प्र. से क्रय कर पूर्ण हुई थी। यहकि उक्त वर्णित संपति राजस्व खसरे में वर्ष 2020-2021 से 2025-2026 में श्री बृजेश कुशवाहा एवं श्री रोहित उर्फ श्यामलाल कुशवाहा के नाम से बतौर भूमिस्वामी नामन्नित है परंतु उक्त वर्णित भूमि श्री बृजेश कुशवाहा एवं श्री रोहित उर्फ श्यामलाल कुशवाहा के पास किस दस्तावेज द्वारा आई ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यहकि, उक्त वर्णित संपति राजस्व खसरे में वर्ष 2019-2020 मे श्री कल्लू, पप्पू, बल्ली, गुल्ला, राजू पुत्रगण श्री काशीराम, श्रीमती राजकुमारी, वाती, लक्ष्मी पुत्रीगढ श्री काशीराम निवासीगण: दतिया एवं श्री सुरेश, राजू, आनंद पुत्रगण श्री गोविंदास सुकदेवी पुत्री गोविंदास निवासीगण: दतिया श्री लक्ष्मण पुत्र धनन्नू एवं श्रीमती हरकू, रामश्री पुत्रीगन श्री धनन्नू निवासिगण: दतिया, म.प्र. बतौर भूमिस्वामी नामन्नित है परंतु उक्त संपति उक्त वर्णित व्यक्तियों को किस दस्तावेज से प्राप्त हुई एस कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यह कि उक्त वर्णित संपति राजस्व खसरे वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 मे श्री रगूँधे पुत्र भोपा एवं लक्ष्मण पुत्र धनन्नू, श्रीमती हरकू, रामश्री, पुत्रीगण धनन्नू, एवं श्री कल्लू, पप्पू, बल्ली, गुल्ला, राजू पुत्रगण श्री काशीराम, श्रीमती राजकुमारी, वाती, लक्ष्मी पुत्रीगन श्री काशीराम एवं सुरेश, राजू, आनंद, पुत्रगण श्री गोविंदास, सुखदेवी पुत्री गोविंदास निवासीगण: ग्राम बतौर भूमिस्वामी नामन्नित है परंतु उक्त भूमि उक्त वर्णित व्यक्तियों को कैसे प्राप्त हुई ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यह कि उक्त वर्णित संपति राजस्व खसरे में वर्ष 2010-2011 से 2015-2016 में श्री रगूँधे, धनन्नू पुत्रगण श्री भोपा एवं श्रीमती लल्ली पत्नी श्री काशीराम के नाम से बतौर भूमिस्वामी नामन्नित है परंतु उक्त संपति उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों को कैसे प्राप्त हुई ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अतः जिस किसी भी व्यक्ति को श्रीमती किरन सेन के स्वत्व, स्वामित्व पर हस्तक्षेप हो या श्री बृजेश कुशवाहा एवं श्री रोहित उर्फ श्यामलाल कुशवाहा, श्री कल्लू, पप्पू, बल्ली, गुल्ला, राजू, श्रीमती राजकुमारी, वाती, लक्ष्मी, श्री सुरेश, राजू, आनंद, सुकदेवी, लक्ष्मण, श्रीमती हरकू, रामश्री, रगूँधे, लल्ली के स्वत: स्वामित्व पर हस्तक्षेप हो या उक्त व्यक्तियों के उत्तराधिकारी/ वारिसान होने का दावा करता हो तो आज दिनांक: 28-05-2026 से सात दिन में स्वयं मेरे कार्यलय अथवा AU SMALL FINANCE BANK, CITY CENTRE BRANCH पर उपस्थित होकर अपना हस्तक्षेप या दावा दर्ज करावे या, उक्त मियाद पश्चात उक्त वर्णित संपति उपरोक्त वर्णित बैंक मे साम्य बंधकित कि जावेगी सो सूचित हो, तत्पश्चात आपका हस्तक्षेप या दावा अस्वीकार्य एवं अमान्य होगा। दिनांक 27/05/2026

प्रेषक- संस्कार शर्मा (अधिवक्ता)
(मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय) कार्या.- 5-B सतीश निवास, अशोक कॉलोनी, खासगी बाज़ार, लश्कर ग्वालियर
मो. 9074602044

कार्यालय नगर परिषद मेहगांव जिला भिण्ड म.प्र.

/ निर्मा./2026/609 — मेहगांव दिनांक 26/05/2026

प्रथम ई-निविदा आमंत्रण सूचना

एतद द्वारा नवीन श्री डीएक्स सुपर फोर व्हील ड्राईव बैंक हो लोडर विथ लाईव लिंक एक्सकैवेटर प्रदाय करने हेतु निर्माता कम्पनी के द्वारा अधिकृत विक्रेताओं / सप्लायर्स से ई टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदायें क्रमांक 2026_UAD_507700_1 आमंत्रित की जाती है। इच्छुक अधिकृत विक्रेता / सप्लायर्स लग्प सम्प दरों के आधार पर अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते उपरोक्त ई-निविदा में यदि कोई भी संशोधन किया जाता है तो उसे ई-टेण्डरिंग वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर ही प्रकाशित किया जावेगा। इस हेतु पृथक से कोई भी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नही3 की जावेगी। निविदा प्रपत्र की विस्तृत जानकारी सूचना विभाग की वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर देखी जावे। अन्य समस्त जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में कार्यालय के लोक निर्माण शाखा में देखीं जा सकती है।

श्रीमती कंचन राठौर
अध्यक्ष
नगर परिषद मेहगांव जिला भिण्ड

महेश पुरोहित
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मेहगांव जिला भिण्ड

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 20 वार्ड क्रं 47,भवन क्रं 145, स्थान लक्कडखाना पुल, माधौगंज लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि रमेश चन्द्र शर्मा/हरप्रसाद शर्मा के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000335889 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 360 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र 20 सिंधी कॉलोनी बरार समाज, क्षे.क्र 20, पर दिनांक 11.05.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 74/2010/65529/65594 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
आशा शर्मा,कुलदीप शर्मा/स्व. रमेश चन्द्र शर्मा
पता-लक्कडखाना पुल,माधौगंज लश्कर ग्वा0(म.प्र.),मो0-8370005137
विज्ञप्ति जारी दिनांक-27.05.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 20 वार्ड क्रं 48,भवन क्रं 1097, स्थान हैदरगंज लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि राकेश शिवहरे,राहुल शिवहरे,निखिल शिवहरे,शुभम शिवहरे के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000084279 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 1200 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-28112501730625 दिनांक 28.11.2025 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र 20 सिंधी कॉलोनी बरार समाज, क्षे.क्र 20, पर दिनांक 30.04.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 74/2010/65483/65549 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
सीमा जैन/आकाश जैन
पता-हैदरगंज,मामा का बाजार लश्कर ग्वा0(म.प्र.),मो0-9753131020
विज्ञप्ति जारी दिनांक-27.05.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 06 वार्ड क्रं 31, स्थान 20 दुर्गापुरी कॉलोनी ग्वा0 मे स्थित है जो कि मंजू लता जोशी/स्व. बाबूलाल जोशी के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000271388 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 1800 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-15052600820069 दिनांक 20.05.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र पडाव, क्षे.क्र 06, पर दिनांक 26.05.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 63/2010/49033/48984 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
हर्ष शाह/शिवकुमार, अशोक कुमार/स्व. मधुकर राव
पता-दुर्गापुरी कॉलोनी ग्वा0(म.प्र.),
मो0-8889626665
विज्ञप्ति जारी दिनांक-27.05.2026

जैन सोशल ग्रुप के 310 सदस्यों ने देखी मूवी

ग्वालियर। जैन समाज की सबसे बड़ी संस्था दिगंबर जैन सोशल ग्रुप पारिवारिक फिल्मोत्सव 2026 पति पत्नी और वह दो का शो रेसकोर्स रोड स्